संख्या: 1/2019/ 104 /सत्रह-म-2019.।।-। द(2)/2006

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 11 फरवरी,2019

विषय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -18/नि0शा0/2017-18 दिनांक 22.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 1,03,333 व्यक्तियों को बीमा से आच्छादित करने हेतु केन्द्रांश धनराशि रू0 6,19,998/- फिशकोफेड नई दिल्ली (बीमा संस्था) को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप मैंचिंग राज्यांश धनराशि रू0 6,19,998/- (50 प्रतिशत) की चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 50:50 (केन्द्रांश: राज्यांश) के वित्त पोषण के अनुपात में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सदस्यों /सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किये जाने का प्राविधान है,जिसमें बीमित व्यक्ति के दुर्घटना से मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू0 2.00 लाख तथा अपंगता की स्थिति में रू0 1.00 लाख के बीमा दावों के भुगतान की व्यवस्था है। वर्ष 2018-19 से भारत सरकार द्वारा बीमित व्यक्तियों के डाटा की ऑनलाइन फीडिंग की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश द्वारा 1,03,333 व्यक्तियों के कराये गये ऑनलाइन डाटा फीडिंग के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रीमियम धनराशि का 50 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि सीधे फिशकोफेड को दो किश्तों में पत्र दिनांक 01 जून, 2018 द्वारा रू0 54,307 लाभार्थियों हेतु रू0 3,25,842/- तथा पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 द्वारा 49,026 लाभार्थियों हेतु रू0 2,94,156/- अर्थात कुल रू0 6,19,998/- की केन्द्रांश धनराशि अवमुक्त/उपलब्ध करायी गयी है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मछुआ दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष 1,03,333 लाभार्थियों हेतु मैचिंग राज्यांश रू0 6,19,998 (रू0 छः लाख उन्नीस हजार नौ सौ अटठान्बे मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक मत्स्य के निवर्तन पर रखते हुए अवमुक्त/आहरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा किश्त डयू होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2- धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के अहारण व व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर फिशरमैंन, 0201-मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050 के0+रा0) - 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में अंकित निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या: 1 /2019/104(1)/सत्रह-म-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- अपर सचिव,भारत सरकार कृषि मंत्रालय,पशुधन,डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।

3- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

6- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित) नई दिल्ली।

7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।